स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 256, दिनांक 27—08—2024

आर0पी0एफ0 के 02 पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट कर उनको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिये जाने के सम्बन्ध में गाजीपुर के थाना गहमर पर पंजीकृत मु0अ0स0 144/24 धारा 103(1) बीएनएस का अनावरण करते हुए 04 अभियुक्त एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार।

दिनाकः 26—08—2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को आर0पी0एफ0 के 02 पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट कर उनको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिये जाने के सम्बन्ध में गाजीपुर के थाना गहमर पर पंजीकृत मु0अ0स0 144/24 धारा 103(1) बीएनएस का अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1— पंकज कुमार पुत्र सालिक राम निवासी नैउरा कालोनी म0नं0 87/8बी रोड नं0 19 थाना खागुल, जनपद पटना, बिहार ।
2— प्रेमचन्द वर्मा पुत्र वीरेन्द्र वर्मा निवासी भगवतीपुर, थाना बीहटा, जनपद पटना, बिहार ।
3— विनय कुमार पुत्र स्व0 राज प्रसाद निवासी जानीपुर थाना जानीपुर, जनपद पटना, बिहार।
4— विलेन्द्र पासी पुत्र महेन्द्र चौधरी निवासी उसरी बाजार, थाना शाहपुर दानापुर, जनपद पटना, बिहार ।

बरामदगी—

1— एक अदद सरकारी पिस्टल 9 एमएम
2— 07 अदद कारतूस,
3— एक अदद पर्स मृतक आर0पी0एफ0 का जवान जावेद का
4— 01 अदद कार नं0 बीआर—01—पीपी—3411 (स्विफ्ट डिजायर)

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः—

दिनांक 26—05—2024 समयः लगभग 17.00 बजे, एस0टी0एफ0 कार्यालय वाराणसी से।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19/20—08—2024 की रात्री में बदमाशों द्वारा जनपद गाजीपुर में आर0पी0एफ0 में कार्यरत 02 पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट कर उनको चलती ट्रेन (ट्रेन नं0 15631 बॉडमेर—गुहावटी एक्सप्रेस) से नीचे फेंक दिया गया था। इस विभत्स घटना के सम्बन्ध में दिनांक 21—08—2024 को जनपद गाजीपुर के थाना गहमर पर मु0अ0स0 144/24 धारा 103(1) बी0एन0एस0 का अभियोग बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था।

उपरोक्त के अनुक्रम में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा इस घटना के अनारवण एवं इस घटना में सम्मिलित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर के निर्देशन एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री अक्षय पी0के0 त्यागी एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा द्वारा टीम गठित पर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उपरोक्त क्रम में उप निरीक्षक श्री अक्षय पीके त्यागी, एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम को अभिसूचना संकलन के दौरान गोपनीय एवं अति विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि थाना

गहमर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 144/24 धारा 103(1) बीएनएस में सम्मिलित कुछ व्यक्ति, जो जनपद गाजीपुर एवं पटना के मध्य शराब की तस्करी करते हैं, उसी स्थान पर मौजूद थे, जहॉ से आर0पी0एफ0 में कार्यरत आरक्षी जावेद खान एवं आरक्षी प्रमोद कुमार के दिनांक 19/20–08–2024 की रात्रि में शव बरामद हुए थे। मुखबिर द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त घटना में बिहार के शराब तस्करी गैंग के लोग शामिल हैं। तत्पश्चात उप निरीक्षक श्री अक्षय पी के त्यागी द्वारा मय टीम के पटना बिहार जाकर गहनता से पतारसी, सुरागरसी की गयी और कार्यवाही करते हुए पंकज कुमार, प्रेमचन्द वर्मा एवं विनय कुमार उपरोक्त को पूछताछ हेतु एस0टी0एफ0 कार्यालय वाराणसी पर लाया गया एंव जनपद गाजीपुर की एस0ओ0जी0/स्वाट सूचना से अवगत कराकर बुलाया गया।

पूछताछ किये जाने पर पंकज कुमार, प्रेमचन्द वर्मा एवं विनय कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि हम लोग एक गैंग के रूप में कार्य करते हैं और दिनांक 19–08–24 को हम लोग तस्करी हेतु शराब लेने के लिए अलीनगर, मुगल सराय जनपद चंदौली गये थे, जहॉ से उन्होंने ठेके से सुरेन्द्र नामक व्यक्ति, जिससे यह लोग अक्सर तस्करी करने हेतु शराब लिया करते थे, से शराब ली और रेलवे स्टेशन आ गये और जनरल डिब्बे में बैठ गये। ट्रेन चलने के कुछ समय बाद कुचमन स्टेशन से पहले चेन पुलिंग हुई थी इस दौरान मौके पर सिपाही जावेद एवं प्रमोद भी आ गये थे चेन पुलिंग का एंव शराब तस्करी का विरोध करने पर हम लोगों द्वारा सिपाही जावेद एवं प्रमोद के साथ मारपीट की गयी थी तथा मारपीट कर इन दोनो को चलती ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया था, जिससे इनकी मृत्यु हो गयी।

पंकज ने पूछताछ पर यह भी बताया कि वह रेलवे में ट्रेकमैन का काम करने वाले वीलेन्द्र पासी से शराब लेता है और दानापुर पटना में जाकर बेचता है। वह भी इस घटना में शामिल है। तदोपरान्त इस आधार पर पूछताछ हेतु वीलेन्द्र को भी गिरफ्तार किया गया।

सम्पूर्ण पूछताछ के उपरान्त उपरोक्त अभियोग में संलिप्ता के साक्ष्य उपलब्ध होने पर एसटीएफ यूनिट नोएडा द्वारा थाना जीआरपी गाजीपुर एवं स्थानीय एसओजी/स्वांट टीम के साथ अभियुक्त पंकज कुमार, प्रेमचन्द वर्मा, विनय कुमार एवं बिलेन्द्र पासी, उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा पूछताछ में घटना में शामिल अन्य 9 अपराधियों के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त हुयी। इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार उपरोक्त चारों अभियुक्तों थाना गहमर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 144/24 धारा 103(1) बीएनएस के अभियोग में दाखिल किया गया। जिसके उपरान्त पुलिस टीम के द्वारा मृतक जवान प्रमोद व जावेद के मोबाइल फोन एवं पर्स की बरामदगी हेतु अभियुक्त प्रेम चन्द को घटनास्थल पर ले जाया गया जहॉ मृतक जावेद का पर्स बरामद हुआ उसी दौरान पुलिस टीम की सरकारी पिस्टल छीन कर धक्का देकर भागने का प्रयास करते समय बाद मुठभेड़ में अभियुक्त प्रेमचन्द को घायल अवस्था में गिरफ्तार करके उपचार हेतु स्थानीय अस्पताल भेजा गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त पंकज कुमार ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र 27 साल है और उसने बंगलौर से पोलटेक्निक में डिप्लोमा कर रखा हैं बताया कि गॉव में आने पर वह वीलेन्द्र चौधरी, जो रेलवे विभाग में गैंगमेन है और शराब की तस्करी का गैंग चलाता है, के संपर्क में आ गया था और फिर वीलेन्द्र चौधरी के साथ मिलकर शराब की तस्करी करने लगा। बताया कि वीलेन्द्र चौधरी के माध्यम से ही वह प्रेम चन्द, विनय एवं कई अन्य शराब तस्करों के संपर्क में आ गया था और ये सभी लोग रेलवे की उन ट्रेनों में, जिनमें एस्कोर्ट नही होता है, मुगल सराय के आसपास से शराब खरीदकर रेलों के माध्यम से बिहार के उन विभिन्न इलाकों में ऊँचे दामों पर बेचते हैं जहॉ पर शराब बंदी है।

अभियुक्त प्रेम चन्द ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र 26 साल है और वह कक्षा 8 पास है। बताया कि उसने दानापुर से इलेक्ट्रिक में आई0टी0आई0 किया है। बताया कि वह लगभग चार साल से इस शराब की अवैध तस्करी के काम को कर रहा है।

अभियुक्त प्रेमचन्द ने यह भी बताया कि वह पूर्व में हत्या के अभियोग में एवं शराब तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है।

अभियुक्त विनय कुमार ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र 49 साल है और वह कक्षा आठ पास है। बताया कि वह जॉनीपुर में बच्चों के कपड़े बेचने का काम करता है। बताया कि फूलवारी शरीफ के कुछ लडके शराब की तस्करी करते हैं। इन्ही के माध्यम से वह भी शराब की तस्करी करने में शामिल हो गया और वह पिछले कई सालों से शराब की तस्करी का काम कर रहा है।

अभियुक्त बिलेन्द्र ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 35 साल है तथा कक्षा 12 वी पास है। बताया कि वर्ष 2014 में रेलवे विभाग में ट्रेकमैन के पद पर भर्ती हुआ था तथा वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक रेलवे स्टेशन दनकोर में तैनात था। वर्ष 2019 में नारायण पुर रेलवे स्टेशन पर स्थानान्तरण पर आया वहॉ मुगल सराय से शराब खरीद कर बिहार में ऊँचे दाम पर बेचने का काम शुरू कर दिया तथा बिहार के कई शराब तस्करों के गैग के संपर्क में आ गया और उनके साथ मिलकर शराब तस्करी करने लगा।

अभियुक्तों से एसटीएफ टीम द्वारा की गई पूछताछ से ज्ञात हुआ कि, अभियुक्तगण शराब तस्करी के गैंग से संबंधित है इनके द्वारा ट्रेन से बिहार के लिए शराब की तस्करी की जाती थी। घटना के दिन दोनों आरक्षी ड्यूटी पर नही थे तथा सादे वस्त्रों में थे। ट्रेन से शराब के अवैध परिवहन की जानकारी आर0पी0एफ0 में नियुक्त उक्त दोनों आरक्षियों को हो गई थी। अवैध शराब के तस्करों को रोकने के प्रयास में अभियुक्तों द्वारा दोनों आरक्षियों पर हमला करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल करके ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई।

अभियुक्त प्रेमचन्द उपरोक्त के विरूद्व निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–

क्र0सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**नाम थाना**	**जनपद**
1	1102/18	302 भादवि	बेहटा	पटना बिहार
2	144/24	103(1) बीएनएस	गहमर	गाजीपुर

अभियुक्त विनय, उपरोक्त के विरूद्व निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–

क्र0सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**नाम थाना**	**जनपद**
1	951/22	153/164/141/147/145 रेलवे एक्ट	बेहटा	पटना बिहार
2	144/24	103(1) बीएनएस	गहमर	गाजीपुर